प्रारुप–30

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector------- No-112 Dated-16/6/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.346 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ***Construction Division, PWD, Chinyalisaur, Uttarkashi*** for ***road construction*** in Uttarkashi district falls within jurisdiction of ***Khalsi (Thaula)*** village (s) in ***Chinyalisaur*** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ……a……to …………b……………………………annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

उप जिलाधिकारी
डुण्डा
उत्तरकाशी

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ---------------- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. D.K.CHOUDRY **I.A.S deputy commissioner on dated** ...16/6/2016... **at Uttarkashi in which application claiming rights in area measuring** 8.346 Hct **for the construction of Thaula to Maad motor road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.**

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Uttarkashi
Dated:..16/6/..2016

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

उप जिलाधिकारी
डुण्डा
जनपद उत्तरकाशी

It is cetified that –Minutes of meeting of Thaula to Maad road (Length 10.00 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 8.346 . **Het** of forest area proposed for deversion. A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

District Magistrate-cum-chairman
District Level Committe
Uttarkashi

उप जिलाधिकारी
डुण्डा
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी (उत्तरकाशी)

खण्ड स्तरीय समिति, उत्तरकाशी।

आज दिनांक: 16/6/2016 को चिन्यालीसौड़ के ग्राम थौला से माड़ मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	
3	श्री जी0 के0 रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	
4	श्री जितेन्द्र सिहं राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य कन्सैंण	अनीता गुसांई
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम थौला से माड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (5.606 हे0)** आरक्षित वन भूमि, 1.085 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.210 हे0 नाप भूमि, अर्थात कुल **(8.346हे0 वन भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य 'परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील चिन्यालीसौड़)** की दिनांक 29/04/2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री बी0 एन0 शुक्ला** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– **श्री बी0एन0 शुक्ला** उपजिलाधिकारी **डुण्डा** अध्यक्ष

2– **श्री आर0बी0 सिहं** उप प्रभागीय वनाधिकारी **धरासू** सदस्य

3– **श्री** सुधीर चन्द्र नेगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी **चिन्यालीसौड़** सदस्य/सचिव

4– **श्री बिजेन्द्र सिहं रावत** बी0डी0सी0 क्षेत्र **चिन्यालीसौड़** सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **ग्राम थौला से माड मोटर मार्ग परियोजना हेतु 8.346 हे0** वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **धरासू** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम थौला से माड मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 8.346 **हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **चिन्यालीसौड़**
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... **उत्तरकाशी** .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **चिन्यालीसौड़**
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 29/04/16 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम थौला से माड मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बी0एन0 शुक्ला	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर0बी0 सिहं	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	29/4/16
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	
4	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	Rawat

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि.
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रारुप–30'3

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के मल्ली बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 10.00 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 8.346 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत माड (न्यू खालसी)

तहसील चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत थौला से माड़ परियोजना के निर्माण हेतु 5.686 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.085 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.210 हे0, नाप भूमि अर्थात कुल 8.346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसोड़ के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत माड द्वारा दिनांक 22/03/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट क्रिया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव ग्राम पंचायत न्यू खालसी
वि0ख0 चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

ग्राम प्रधान/सरपंच
ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम–पंचायत न्यू खालसी
वि0ख0–चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी

प्रारुप–30.4

दिनांक 22/03/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत माड (न्यूखालसी)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत मल्ली–बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती [illegible] कण्डियाल प्रधान न्यूखालसी	[illegible]
2	श्री जय सिंह पंवार वार्ड सदस्य "	जयपाल
3	श्री चैन सिंह भण्डारी उप प्रधान न्यूखा०	Jaide
4	श्रीमती उमा देवी सदस्य ग्रा०पं० न्यूखा०	उमा देवी
5	श्रीमती ममता देवी सदस्या "	ममता देवी
6	श्री कलमसिंह कण्डियाल सदस्य "	कलमसिंह
7	श्री घन सिंह कण्डियाल ग्राम न्यूखा०	[illegible] Singh
8	श्री कमल सिंह " " "	RKandy
9	श्री भगवान सिंह पंवार माड न्यूखालसी	[illegible]
10	" राजेन्द्र सिंह पंवार माड न्यूखा०	R Panwar
11	" भीम सिंह भण्डारी माड न्यूखा०	भीम सिंह
12	" [illegible] सिंह कण्डियाल माड न्यूखा०	[illegible]
13	" कृपालसिंह कण्डियाल ग्राम न्यूखा०	[illegible]
14	" जयपालसिंह कण्डियाल " " "	जयपाल
15	" शिवसिंह पंवार ग्राम न्यूखालसी	शिव सिंह
16	" कृपालसिंह भण्डारी " " "	Kr[illegible]
17	" दयाल सिंह " " "	[illegible]
18	" पुष्कर सिंह पंवार " " "	पुष्कर पंवार
19	" [illegible]सिंह कण्डियाल माड न्यूखा०	Balw[illegible]
20	" [illegible] सिंह कण्डियाल न्यूखालसी	[illegible] Singh
21	" सरोप सिंह कण्डियाल " खालसी	[illegible]
22	श्रीमती देवकी कण्डियाल सदस्य ग्रा०पं०	देवकी
23	श्री श्यामसिंह भण्डारी ग्राम न्यूखा०	श्यामसिंह
24	" [illegible] पंवार ग्राम न्यूखालसी	[illegible]
25	" पुष्कर सिंह पंवार " " "	पुष्कर सिंह
26	" कुन्दन सिंह कण्डियाल माड न्यूखा०	[illegible]

[signature]

प्रधान
ग्राम–पचायत न्यू खालसी
वि०ख०–चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी

ग्राम प्रधान

प्रारुप—30.4

दिनांक 22/03/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नई खालसी

परियोजना का नामः— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत मल्ली—बधाणगांव मोटर मार्ग के थौला से माड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

II

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
27	श्री नत्थू सिंह कण्डियाल ग्राम नई खालसी	नत्थू सिंह
28	श्री भगवानसिंह 〃 〃 〃	[illegible]
29	श्री उदयसिंह पंवार 〃 〃	उदय सिंह
30	श्री मदन सिंह पूर्व उपप्रधान 〃 〃	[illegible]
31	श्री दिलबर सिंह कठवारी पूर्व उपप्रधान	दिलबर सिंह
32	श्री धरम सिंह कण्डियाल नई खालसी	धर्म सिंह
33	श्री जयपालसिंह 〃 〃 〃	जयपाल सिंह
34	श्री देवेन्द्र सिंह 〃 〃 〃	देवेन्द्र सिंह
35	श्रीमती हिमा देवी पंवार 〃 〃	हिमा देवी
36	श्रीमती मनोशी देवी 〃 〃 〃	मनोशी देवी
37	श्री चन्दन सिंह कण्डियाल 〃 〃	चन्दन सिंह
39	श्री सुक्खी सिंह कठवारी 〃 〃	सुक्खी सिंह
40	श्री मोहन सिंह 〃 〃 〃	मोहन
41	श्री सरोप सिंह कठवारी 〃 〃	सरोप सिंह
42	श्री बिशनसिंह 〃 〃 〃	bosnaires
43	श्री रतन सिंह 〃 〃 〃	रतन सिंह
44	श्रीमती बबली कठवारी सदस्य 〃	बबली देवी
45	श्रीमती ममता कठवारी नई खालसी	ममता
46	श्रीमती विजय देवी पूर्व प्रधान खालसी	विजय देवी
47	श्री कोमल सिंह कण्डियाल ग्राम नई खालसी	Kaml
48	श्री धनसिंह कण्डियाल 〃 〃 〃	धनसिंह
49	श्री अबलसिंह कठवारी 〃 〃 〃	अबल सिंह
50	श्री विक्रमसिंह पंवार 〃 〃 〃	[illegible]
51	श्री उमेदसिंह कठवारी 〃 〃 〃	उमेद सिंह
52	श्री चौकरसिंह पंवार 〃 〃	चौकर सिंह
53	श्री अब्बलसिंह पंवार 〃 〃	[illegible]

प्रधान असरफी
ग्राम—पचायत न्यू खालसी
वि0ख0—चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी

ग्राम प्रधान